सत्यमेव जयते

THE

JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

1 BHADRA, 1944 (S)

No. 408

RANCHI, TUESDAY 23rd AUGUST, 2022

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

23rd August, 2022

Notification No.- 9/2022 – State Tax(Rate)

S.O. No. 30, Dated 23rd August, 2022--In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No. 5/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 35, dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification,

(i) in the opening paragraph, in the proviso, in clause (i), for the words and figure "serial numbers 1", the words, figure and letters "serial numbers 1AA" shall be substituted;

(ii) in the TABLE, S. No. 1 shall be re-numbered as S. No. 1AA, and before S. No. 1AA as so re-numbered, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“1A.	1507	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
1B.	1508	Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1C.	1509	Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1D.	1510	Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509
1E.	1511	Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1F.	1512	Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1G.	1513	Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1H.	1514	Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1I.	1515	Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1J.	1516	Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.
1K.	1517	Edible mixtures or preparations of vegetable fats or vegetable oils or of fractions of different vegetable fats or vegetable oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516
1L.	1518	Vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516
1M.	2701	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
1N.	2702	Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet
1O.	2703	Peat (including peat litter), whether or not agglomerated”

2. This notification shall be deemed to be effective from the 18th day of July, 2022.

[File. No. VaKar/GST/02/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Aradhana Patnaik,
Secretary,
Commercial taxes Department

Note: - The principal notification No.5/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 35, dated the 29th June, 2017, and was last amended by notification No. 20/2018 – State Tax (Rate), dated the 17th August, 2018 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 56, dated the 17th August, 2018.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 9/2022- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 30, दिनांक 23 अगस्त, 2022 - झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii)के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 35, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण,में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) प्रारंभिक पैराग्राफ में, परन्तुक में, उपवाक्य (i) में, शब्द और अंक "क्रम संख्या 1", के स्थान पर शब्द और अंक "क्रम संख्या 1कक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) सारणी में क्रमसंख्या 1 को अब क्रम संख्या 1कक लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 1कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)
"1क.	1507	सोयाबीन तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1ख.	1508	मूंगफली का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1ग.	1509	जैतून का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1घ.	1510	अन्य तेल और उनके प्रभाज, जो केवल जैतून से अभिप्राय हैं, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं, जिनके अंतर्गत शीर्ष संख्या 1509 के तेल और उनके प्रभाज के साथ इन तेलों या उनके प्रभाज से सम्मिश्रण हैं ।
1ड.	1511	ताड़ का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1च.	1512	सूर्यमुखी, कुसंभ या बिनौले का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1छ	1513	नारियल (खोपरा), ताड़ की गिरी या बाबासू का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1ज	1514	तोरिया, कोल्जा या सरसो का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1झ	1515	अन्य अवाष्पशील वनस्पति वसा और तेल (जिनके अंतर्गत जोजोबा का तेल है) और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।

1ण	1516	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, भागत: या पूर्णत: हाइड्रोजनीकृत, अंत:एस्टीकृत, पुन:एस्टीकृत, इलोडिनीकृत, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु और निर्मित नहीं हैं ।
1त	1517	शीर्ष संख्या 1516 की खाद्य वसा और तेलों या उनके प्रभाजों से भिन्न, इस अध्याय के वनस्पति या तेलों के अथवा विभिन्न वसा या तेलों के प्रभाजों के खाद्य मिश्रण या निमिर्तियां ।
1थ	1518	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, क्वथित, आक्सीकृत, निर्जलीकृत, सल्फरीकृत, धमित, निर्वात या अक्रिय गैस में ऊष्मा द्वारा बहुलकित या अन्यथा रासायनिक रूप से उपांतरित, उनको छोड़कर जो शीर्ष संख्या 1516 की के अंतर्गत आते हैं ।
1द	2701	कोयला; कोयले से निर्मित ब्रिकेट्स, ओवोइड्स और इसी तरह के ठोस ईंधन
1ध	2702	लिग्नाइट, जेट को छोड़कर, जमा हुआ है या नहीं
1न	2703	पीट (पीट के टुकड़े सहित), चाहे जमा हो या नहीं"

.2 यह अधिसूचना 18 जुलाई,2022 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/02/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

आराधना पटनायक,

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग ।

नोट प्रधान :अधिसूचना संख्या 5/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, को एस. ओ. सं. 35, दिनांक 29 जून,2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 20/2018 राज्य कर (दर), दिनांक 17 अगस्त, 2018, जिसे एस. ओ. सं. 56, दिनांक 17 अगस्त, 2018 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था,के द्वारा संशोधन किया गया है ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 408 -- 50